उनवानी प्रकरणः— सोगेती बनाम रागकल्याण वगै0

मु.न.:— 26/2020 कि0मु0:— प्रार्थना पत्र

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| | 16.07.2025<br>पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जाने पर पेश नहीं किया गया। अब अप्रार्थीगणों का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा बताया गया है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 480/2, 626/22, 675/64, 848/436 भूमि वांके ग्राम मोरोज में खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त बाधा उत्पन्न करते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित भूमि पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।<br>वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगणो के द्वारा कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।<br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, बहस वकील उभयपक्ष मनन किया गया। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होना अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 आराजी खसरा नम्बर 480/2, 626/22, 675/64, 848/436 भूमि वांके ग्राम मोरोज प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्त घोषित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।<br>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 480/2, 626/22, 675/64, 848/436 भूमि वांके ग्राम मोरोज में ताफैसला मूल वाद किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय उत्पन्न करें और ना ही किसी अपने नौकर, एजेण्ट या दीगर से करावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील वादपत्र के साथ संलग्न हों ।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>खण्डार (स0 मा0) | |